रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 748] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2007/आषाढ़ 1, 1929
No. 748] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2007/ASADHA 1, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2007

का.आ. 1008 (अ).—केन्द्रीय सरकार वन्यजीव (संरक्षण)अधिनियम 1972 (1972 का 53) के अनुपालन में बाघ संरक्षण फाऊण्डेशन के विनियमन के उद्देश्य से निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाती है नामत :

1- लघु शीर्ष और प्रारम्भ

(1) इन दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाऊंडेशन) दिशानिर्देश 2007 कहा जाएगा ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे

परिभाषाएं :- इन दिशानिर्देशों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,:

(क) अधिनियम का अभिप्राय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53)

(ख) ' कार्यकारी समिति ' का अभिप्राय इसके ट्रस्ट के विलेख द्वारा गठित फाऊंडेशन की कार्यकारी समिति

(ग) ' फाऊंडेशन ' का अभिप्राय अधिनियम की धारा 38 एक्स के अंतर्गत स्थापित बाघ संरक्षण फाऊंडेशन

(घ) ' शासी निकाय ' का अभिप्राय इसके ट्रस्ट के विलेख द्वारा गठित फाऊंडेशन का शासी निकाय

(ड.) ' कार्यान्वयन एजेंसी का अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 38 वी के अंतर्गत अधिसूचित बाघ रिजर्व अथवा बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अधिसूचित रिजर्व

(च) प्रचालन नियमावली का अभिप्राय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित फाऊंडेशनकी प्रशासनिक संहित

(छ) ' फाऊंडेशन के नियम ' का अभिप्राय ट्रस्ट के अनुमोदित विलेख और फाऊंडेशन की प्रचालन नियमावली

(ज) 'स्टाफ' का अभिप्राय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा नियुक्त फाऊंडेशन का कोई कर्मचारी और उसमें सलाहकार, ठेके पर लगे व्यवसायिक प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ और दैनिक मजदूरी कामगार आदि शामिल होंगे।

(झ) 'राज्य सरकार' को अभिप्राय बाघ रिजर्व की राज्य सरकार

(ञ) 'बाघ संरक्षण प्राधिकरण' का अभिप्राय अधिनियम की धारा 38 एल के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

(ट) बाघ रिजर्व का अभिप्राय बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही अधिसूचित सहित धारा 38वीं के अंतर्गत यथाअधिसूचित क्षेत्र

(ठ) 'बाघ रिजर्व राज्य' का अभिप्राय वह राज्य जिसमें बाघ रिजर्व है।

3. बाघ रिजर्व फाऊडेशन का गठन

(1) राज्य सरकार प्रत्येक बाघ रिजर्व में लोगों को शामिल करते हुए परिपर्यटन और पारि-विकास कार्यक्रमों के अलावा बाघ और जैवविविधता के संरक्षण के लिए इसके प्रबंध को सरल और सहायक बनाने के लिए बाघ संरक्षण फाऊंडेशन स्थापित करेंगी।

(2) फाऊंडेशन, सरकार के संबंधित नियमों के अंतर्गत एक पंजीकृत ट्रस्ट होगा।

(3) फाऊंडेशन का मुख्यालय बाघ रिजर्व के समीप प्रशासनिक रुप से सुविधाजनक स्थान पर स्थित होगा

(4) फाऊंडेशन का प्रचालन क्षेत्र बाघ रिजर्व और इसके आसपास का परिदृश्य, जो बाघ रिजर्व से वन्यजीवों के इधर उधर जाने के लिए सम्भावित मार्ग के साथ प्रभावी जोन बनाएगा।

4 ट्रस्ट के लक्ष्य और उद्देश्य

(1) फाऊंडेशन का उद्देश्य अनुमोदित प्रबंध योजनाओं के अनुसार विविध स्टेकहोल्डरों की भागीदारी के माध्यम से बाघ और जैवविविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबंध को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना तथा राष्ट्रीय और राज्य कानून के अनुरुप आसपास के भू परिदृश्यों में समान प्रयासों में सहायता करना।

(2) उक्त उद्देश्यों की सहायता के लिए फाऊंडेशन के कार्य को कार्यान्वयन एजेंसी और इसके स्टाफ और अथवा प्रायोजित अथवा इसके द्वारा समर्थित अथवा अन्य संस्थानों, एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अथवा व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा

(3) उपर्युक्त उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फाऊंडेशन के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे नामत :-

(क) बाघ रिजर्व और आसपास के भूदृश्यों में पारिस्थितिकीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को सुविधाजनक बनाना

(ख) बाघ रिजर्व और संबंधित स्थानों में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करना

(ग) उपर्युक्त वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली परिसम्पतियों के सृजन और अथवा प्रबंध को सरल बनाना

(घ) उपर्युक्त वर्णित उद्देश्यों को कानून द्वारा अनुभव विभिन्न स्रोतों से पूरा करने के लिए फाऊंडेशन के कार्यों के लिए अपेक्षित तकनीकी, वित्तीय, सामाजिक और अन्य सहायता का अनुरोध करना।

(ङ.) कार्यान्वयन एजेंसी की सहायता के लिए उपर्युक्त और संबंधित क्षेत्रों में पारिपर्यटन, पारिविकास, अनुसंधान पर्यावरणीय शिंक्षा, प्रशिक्षण, प्रबंध और परामर्शी पहलुओं को बढ़ावा देना।

(च) उपर्युक्त वर्णित उद्देश्यों की सहायता के लिए कुछ भी आकस्मिक अथवा आनुषंगिक ।

5. फाऊंडेशन का शासी निकाय

(1) बाघ संरक्षण फाऊंडेशन को समग्र नीतिगत मार्गदर्शन और निर्देश देने के लिए बाघ रिजर्व राज्य का एक शासी निकाय होगा ।

(2) बाघ संरक्षण फाऊंडेशन के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे नामत :-

(i)	राज्य सरकार में वन्यजीव प्रभारी मंत्री	-	अध्यक्ष
(ii)	सरकार के वन विभाग में प्रधान सचिव अथवा सचिव जैसा भी मामला हों	-	उपाध्यक्ष
(iii)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	-	सदस्य
(iv)	फील्ड निदेशक, बाघ रिजर्व	-	सदस्य
(v)	उपनिदेशक , बाघ रिजर्व	-	सदस्य
(vi)	संबंधित क्षेत्र के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अथवा फील्ड अर्हता प्राप्त विशेषज्ञ (सरकार द्वारा नामांकित किए जाएंगे)	-	सदस्य
(vii)	विधान सभा के सदस्य जो राज्य विधान सभा में संबंधित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हो	-	सदस्य
(viii)	जिनके पास बाघ रिजर्व क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार प्राप्त जिला पंचायत के प्रतिनिधि	-	सदस्य
(ix)	फाऊंडेंशन की कार्यकारी समिति के दो सदस्य (फील्ड निदेशको/ उपनिदेशकों के अलावा)	--	सदस्य
(x)	मुख्य वन्यजीव वार्डन	-	सदस्य-सचिव

(3) शासी निकाय का कोई भी सदस्य विधान सभा, अथवा जैसा भी मामलों हों का सदस्य नहीं होगा तथा जिला पंचायत का सदस्य शासी निकाय का सदस्य नहीं होगा ।

(4) नामित सदस्य का कार्यकाल उसके नामांकन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा ।

(5) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होगी और निम्नलिखित कार्य करेगा, नामत :-

(क) अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में फाऊंडेंशन की नीति बनाना
(ख) फ़ाऊंडेंशन के तुलनापत्र और लेखापरीक्षित लेखों पर विचार करना और अनुमोदित करना
(ग) फाऊंडेंशन की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और अनुमोदित करना
(घ) फाऊंडेशन की कार्य योजना, निधि प्रवाह वार्षिक बजट को अनुमोदित करना
(ड.) सरकार के अनुमोदन की शर्त पर ट्रस्ट के विलेख में , आवश्यक समझे गए, संशोधन करना
(च) फाऊंडेशन की प्रचालन नियमावली को अनुमोदित करना
(छ) फाऊंडेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों और अन्य संस्थानों तथा गैर सरकारी संगठनों के नीच समन्वय स्थापित करना
(ज) फाऊंडेशन के मामलों को व्यवस्थित करने के लिए ट्रस्ट के बिलेख के उपबंधों के अंतर्गत नियम और विनियम तैयार करना
(झ) फाऊंडेशन के कोष को बढ़ाने , निवेश और बजट के संबंध में सभी नीतिगत निर्णय लेना

(ञ) फाऊंडेशन की किसी परियोजना अथवा कार्य का निलम्बन, बंद करना अथवा उस पर किसी अन्य प्रक्रिया का प्रभाव

(ट) ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य कार्यों को करना

(6) शासी निकाय की बैठके निम्नलिखित तरीके से आयोजित की जाएंगी नामत :-

(i) शासी निकाय की बैठके वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य की जाएगी मुख्यत: वित्त वर्ष के पहले महीने में

(ii) शासी निकाय की प्रत्येक बैठक शासी निकाय के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से पद्रंह दिन के पूर्व नोटिस से लिखित रुप में बुलाई जाएगी जिसमें उस बैठक के चर्चा के विषयों का सार होगा ।

(iii) नोटिस देने में असावधानी के कारण हुई चूक और किसी सदस्य द्वारा नोटिस का प्राप्त न होने की अवस्था में बैठक की कार्रवाई अमान्य नहीं होगी ।

(iv) यदि शासी निकाय की बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तब उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(v) शासी निकाय के उपस्थित एक तिहाई सदस्य शासी निकाय का फोरम बनायेंगे बशर्ते कोई कोरम किसी बैठक को स्थगित करने के लिए कोई कार्यवाहक संख्या आवश्यक नहीं होगी

(vi) बैठक में सभी विवादों के संबंध में मत विभाजन द्वारा निर्णय किया जाएगा ।

(vii) यदि कोई सदस्य शासी निकाय की बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं तो वह कार्यसूची पर अपने विचार लिखित में भेज सकता है । और ऐसे विचार संबंधित मामले में उनका वोट माने जाऐंगे और

(viii) बैठक की कार्रवाईयों के कार्यवृत्त को रिकार्ड किया जाऐगा और ऐसा कार्यवृत्त सदस्य सचिव, शासी निकाय से अनुमोदित और हस्ताक्षर होने के बाद बैठक में संपादित कार्यक्रम का निश्चयात्मक प्रमाण होंगे ।

6. कार्यकारी समिति

(1) प्रत्येक बाघ संरक्षण फाऊडेंशन में इसके दैनिक प्रबध को देखने के लिए कार्यकारी समिति होगी ।

(2) फाऊंडेशन के कार्यों को कार्यकारी समिति द्वारा फाऊंडेशन के नियमों की शर्त पर प्रशासित किए जाऐंगे ।

(3) कार्यकारी समिति में शामिल होंगे

क) बाघ रिजर्व के फील्ड निदेशक	अध्यक्ष
ख) बाघ रिजर्व के उप-निदेशक अथवा सहायक निदेशक	सदस्य
ग) बाघ रिजर्व में कार्यरत पारि विकास समितियों के दो प्रतिनिधियों का शासी निकाय में नामित किया जाना	सदस्य
घ) बाघ रिजर्व के फ्रंटलाइन स्टाफ के दो सदस्य	सदस्य

(बाघ रिजर्व के उप-निदेशक अथवा सहायक निदेशक अथवा सहायक निदेशक, जैसा भी मामला हो, कार्यकारी समिति के सचिव के रुप में कार्य करेंगे)

(4) नामांकित सदस्य का कार्यकाल उसके नामांकन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(5) नामांकित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारी समिति का सदस्य उस स्थिति में सदस्य नहीं रहेगा यदि वह उस कार्यालय अथवा पद पर बना नहीं रहता जिसके लिए वह समिति का सदस्य बना था।

(6) कार्यकारी समिति की शक्तियां निम्नलिखित होगी और निम्नलिखित कार्य करेंगी नामत :

(क) फाऊंडेशन के नियम और विनियमों के अनुसार फाऊडेंशन के कार्य और निधि

(ख) फाऊंडेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा इसके सभी कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रयास करना।

(ग) फाऊंडेशन के नियमों तथा विनियमों के अनुसार विषय विशेष के किसी व्यक्ति को लगाने तथा उसकी नियुक्ति करने की शक्ति सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय शाक्तियों का प्रयोग करना।

(घ) फाऊंडेशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसके नियमों तथा विनियमों के अनुसार सार्वजनिक अथवा निजी संगठनों या व्यक्तियों के साथ समझौता करना।

(ड.) फाऊंडेशन के नियमों तथा विनियमों और सरकार के हितों से असंगत वृतिदान, सहायता अनुदान, दान अथवा उपहार

(च) फाऊंडेशन के नियमों तथा विनियमों के अनुसार राज्य या अन्यत्र कहीं और सरकार अथवा सार्वजनिक निकायों अथवा निजी संगठनों या व्यक्तियों से किसी चल अथवा अचल सम्पति की फाऊंडेशन के नाम पर खरीद उपहार या अन्यथा प्राप्त करना या अधिग्रहण करना, और

(छ) शासी निकाय द्वारा इसे सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करना।

7. कार्यकारी समिति की कार्यवाही

(1) कार्यकारी समिति की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष द्वारा संचालित की गई जाएगी। बशर्ते कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी समिति बैठक की अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष का चयन करेगी।

(2) कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों में से आधे कोरम का गठन करेंगे वशर्ते किसी बैठक को स्थागित करने के संबंध में कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा

(3) उक्त समिति की प्रत्येक बैठक के लिए कार्यकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को सात दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए बशर्तें कि अध्यक्ष आपातकालीन बैठक न बुला ले यदि स्थिति की मांग हो

(4) नोटिस देने के असावधानी में हुई भूल अथवा किसी सदस्य को किसी बैठक का नोटिस न प्राप्त होना बैठक की कार्रवाईयों को अमान्य नहीं करेगा।

(5) कार्यकारी जब भी आवश्यक हो बैठक करेगी परंतु प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक जरुर करेगी।

(6) कार्यकारी समिति बैठकों में सभी विवादास्पद मामले सदस्यों के बीच मत द्वारा तय किए जाऐंगे।

(7) कोई सदस्य जो कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो कार्यसूची पर अपने विचार लिखित में भेज सकता है और ऐसी विचार अभिव्यक्ति को संबंधित मामले पर उसके वोट के रुप में लिया जाएगा ।

(8) कार्यकारी समिति इसके द्वारा गठित उप समिति को किसी मामले में सलाह अथवा सिफारिश के लिए भेज सकती है तथा कार्यकारी को उप-समिति द्वारा की गई सिफारिश अथवा दी गई सलाह को रद्द करने का अधिकार होगा और ऐसा करने पर कारण भी रिकार्ड करेगी

(9) कार्यकारी समिति की आम वार्षिक बैठक प्रतिवर्ष बुलाई जाएगी और इसमें पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे तथा चालू वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर विचार विमर्शित किया जाएगा और उसे अनुमोदित किया जाएगा ।

(10) कार्यकारी समिति की बैठक की कार्रवाई के कार्यकृत रिकार्ड किये जाऐगें और ऐसे कार्यवृत्त, सचिव के उचित अनुमोदन के बाद जारी किए जाऐंगे ।

8. कार्यकारी समिति का कार्यालय और प्राधिकार

(1) बाघ रिजर्व का फील्ड निदेशक फाउंडेशन का कार्यकारी निदेशक होगा और वह कार्यकारी समितिकी ओर से फाउंडेंशन के सभी प्रशासनिक और दैनिक कार्यों को निष्पादित करेंगे/करेंगी तथा वह फाउंडेशन के सभी रिकार्डों परिसम्पतियों और अन्य सामग्री का संरक्षक होगा ।

(2) कार्यकारी निदेशक की फाऊडेंशन के नियमों के अनुसार निम्नलिखित शक्तियां होगी नामत:

(क) फाऊडेंशन की ओर से किसी व्यक्ति अथवा संस्थान से नकद अथवा किस्त में रुप में योगदान प्राप्त करना ।

(ख) फाऊडेंशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी चल अथवा अचल सम्पति को खरीदना, प्राप्त करना अथवा पट्टे पर लेना ।

(ग) फाऊडेंशन के सामान्य प्रशासन पर नियंत्रण और अधिकार रखना ।

(घ) बैंकों में खाते खुलवाना और उनका संचालन करना

(ड.) फाऊडेंशन के लिए और उसकी ओर से सभी कानूनी कार्यों का अभियोजन मुकदमा चलाना , बचाव करना ।

(3) कार्यकारी निदेशक को सेमिनार, कायशालाओं आदि को आयोजित करने तथा फाऊंडेंशन की अनुसंधान सामग्री तथा पुस्तकों के प्रकाशन को देखने का अधिकार होंगा ।

(4) कार्यकारी निदेशक फाऊंडेशन द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने और सहायता के लिए विभिन्न एजेंसियों को प्रस्तुत करने के लिए उचित कार्रवाई प्रारम्भ करेगा ।

(5) कार्यकारी निदेशक को फाऊडेशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ विचार विमर्श करने का अधिकार होगा ।

9 सम्पति, परिसम्पति और देनदारियां

(1) फाउंडेशन की आय और सम्पति से जो भी उपार्जित हो उसका केवल उक्त निर्धारित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए ।

(2) फाउंडेशन की आय और सम्पति का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से लाभांश, बोनस अथवा अन्य किसी रुप से या लाभ के माध्यम से उन व्यक्तियों को जो किसी भी समय फाऊंडेशन के सदस्य रहे है अथवा उनमें से कोई अथवा उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति को प्रदत्त अथवा अन्तरित नहीं किया जाएगा ।

(3) बशर्ते कि इसमें शमिल कुछ भी किसी सदस्य के पारिश्रमिक के अथवा फाउंडेशन को दी गई किसी सेवा के बदले में अथवा जैसा कि परिचालन नियमावली में अनुबद्ध है किसी प्रशासनिक व्यय के भुगतान को न रोके ।

10. सरकार की शक्तियां

सरकार समय समय पर फाऊंडेशन की कार्यप्रणाली की पुनरीक्षा करेगी और फाऊडेशन के मामलों के संबंध में आवश्यक समझे जाए ऐसे निदेश जारी करेगी ।

11. वित्तीय विनियमन

क. ट्रस्ट के कोष :

ट्रस्ट के नियम और विनियम के अनुरुप फाऊंडेशन के कार्यों को चलाने के लिए धनराशि के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित होंगे नामत :

(क)पर्यटन प्रवेश शुल्क लगाने से प्राप्त आय तथा बाघ रिजर्व में दी जाने वाली सेवाओं के अन्य प्रभाव

(ख) राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर राष्ट्रीय एजेंसियों से विशिष्ट परियोजनाओं के संदर्भ में अन्य स्रोतों से अंशदान जैसा कि कानून में अनुमत है ।

(ग) किसी व्यक्ति अथवा विदेशी सरकारों तथा अन्य बाह्य एजेंसियों सहित किसी व्यक्ति अथवा संगठनों से प्राप्त सहायता अनुदान,दान और सहायता,जैसा कि कानून द्वारा अनुमत हो ।

(घ) ट्रस्ट के नियमों के अनुरुप कोई अन्य कार्य जो कानून द्वारा अनुमत हो

(ख) लेखे और लेखा परीक्षा

(क) फाऊंडेशन, उचित लेखे का रखरखाव करेगा और प्राप्ति और भुगतान , देनदारियों के विवरण आदि को शामिल करते हुए वार्षिक लेखे उस रुप में तैयार करेगा जैसा निर्धारित किया जाए ।

(ख) फाऊंडेंशन के लेखे भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा नामिकगत तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित योग्य चार्टड एकाऊटेंट द्वारा प्रतिवर्ष लेखा परीक्षित किए जाऐंगे ।

(ग) लेखा परीक्षित लेखे का इसके उद्देश्य के लिए आयोजित शासी निकाय की वार्षिक बैठक में शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा और अनुमोदित किया जाऐगा ।

(घ) फाऊंडेशन के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सामान्य उपबंधों निर्देशों के अधीन होंगे ।

12. फाऊंडेशन का विघटन

फाऊंडेशन अटल है तथापि किसी ऐसी परिस्थिति में जिसमें फाऊंडेशन को समाप्त अथवा विलयन करने का निर्णय लिया जाता है तो इसके सभी ऋणों और देन पारिदारियों के पूरा हो जाने के बाद जो कोई भी परिसम्पति और सम्पति और इसी तरह का कुछ भी फाऊडेशन के सदस्यों के बीच भुगतान वितरित नहीं किया जाएगा लेकिन उस तरीके से निपटान किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णीत किया जाए ।

13. विविध

(1) जब भी मंत्रालयों, विभागों अथवा उल्लिखित संस्थान और पदनाम की नामावली में कोई भी परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन स्वत: ही फाऊंडेशन के नियमों में शामिल हो जाऐंगे ।

(2) फाऊंडेशन के किसी भी कर्मचारी द्वारा फाऊंडेशन अथवा इसकी संपति को कोई हानि अथवा क्षति अथवा फाऊंडेशन के हितों के लिए कुछ हानिकारक करने पर फाऊंडेशन मुकदमा चला सकती है अथवा अभियोजित कर सकती है ।

[फा. सं. 15-1/2006-एनटीसीए (भाग V)]

डॉ. राजेश गोपाल, सदस्य-सचिव (एनटीसीए)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2007

S.O. 1008 (E).—In pursuance of Section 38X of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following guidelines for the purpose of Regulation of Tiger Conservation Foundation, namely :—

1. Short title and commencement.–

(1) These guidelines may be called the National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– In these guidelines, unless the context otherwise requires –

(a) "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(b) "Executive Committee" means an executive committee of the Foundation constituted by its trust of deed;

(c) "Foundation" means the Tiger Conservation Foundation established under section 38X of the Act;

(d) "Governing Body" means governing body of the Foundation as constituted by its trust of deed;

(e) "implementing agency" means a tiger reserve notified under section 38V of this Act or a reserve already notified by the State Government under Project Tiger Scheme;

(f) "Operations Manual" means the administrative code of the Foundation approved by the State Government;

(g) "Rules of the Foundation" means the approved trust of deed and Operations Manual of the Foundation;

(h) "staff " means any employee of the Foundation appointed by appropriate authority and shall include consultants, professionals engaged on contract, staff on deputation, daily wage workers, etc.;

(i) "State Government" means the State Government of the Tiger Reserve State;

(j) "Tiger Conservation Authority" means the National Tiger Conservation Authority constituted under section 38L of the Act;

(k) "tiger reserve" means the areas notified as such under section 38V, apart from those already notified by State Governments under Project Tiger Scheme;

(l) "tiger reserve state" means a state having tiger reserve.

3. Constitution of Tiger Reserve Foundation.–

(1) The State Government shall establish a Tiger Conservation Foundation in each tiger reserve for facilitating and supporting its management for conservation of tiger and biodiversity, apart from taking ecotourism and ecodevelopment initiatives by involving people in such process.

(2) The Foundation shall be a trust, registered under the relevant rules of the Government.

(3) The Head Office of the Foundation shall be located at an administratively convenient location in proximity to the tiger reserve.

(4) The area of operation of the Foundation shall be the tiger reserve and its adjoining landscape, forming the impact zone with possible corridor value for dispersal of wild animals from the tiger reserve.

4. Aim and Objectives of the Trust.–

(1) The aim of the Foundation shall be to facilitate and support the tiger reserve management for conservation of tiger and biodiversity, through multi-stakeholder participation as per approved management plans, and to support similar initiatives in adjoining landscapes, consistent with the national and state legislations.

(2) For the furtherance of the said objectives, the functions of the Foundation shall be undertaken through the implementing agency and its staff and or sponsored or supported by it or through other institutions, agencies or individuals collaborated by the implementing agency.

(3) To achieve the above said aim, the Foundation shall have the following objectives, namely:-

(a) to facilitate ecological, economic, social and cultural development in the tiger reserve and adjoining landscape;

(b) to provide support to safeguard the natural environment in the tiger reserve and relevant places;

(c) to facilitate the creation of, and or maintenance of such assets as felt necessary for fulfilling the above said objectives;

(d) to solicit technical, financial, social and other support required for the activities of the Foundation for achieving the above said objectives from different sources permitted by law;

(e) to support ecotourism, ecodevelopment, research, environmental education, training, management and advisory aspects in the above and related fields to support the implementing agency; and

(f) anything incidental or ancillary to the above for furthering the above said objectives.

5. Governing Body of the Foundation.–

(1) The Tiger Reserve State shall have a governing body for giving overall policy guidance and direction to the Tiger Conservation Foundation.

(2) The Governing Body of the Tiger Conservation Foundation shall consist of the

following members, namely:-

(i)	Minister in-charge of Wildlife in the State Government	-	President
(ii)	Principal Secretary or the Secretary, as the case may be, of the Forests Department to that Government	-	Vice President
(iii)	Principal Chief Conservator of Forests	-	Member
(iv)	Field Director of the Tiger Reserve	-	Member
(v)	Deputy Director of the Tiger Reserve	-	Member
(vi)	two prominent scientists or qualified experts in the field(to be nominated by that Government)	-	Members
(vii)	Member of Legislative Assembly, who represent the concern area in the State Legislative Assembly	-	Member
(viii)	representative of the District Panchayat having jurisdiction over the Tiger Reserve area	-	Member
(ix)	two members of the Executive Committee of the Foundation (other than the Field Directors/Deputy Directors)	-	Member
(x)	Chief Wildlife Warden	-	Member-Secretary

(3) A member of the Governing Body shall, upon ceasing to be a Member of Legislative Assembly or, as the case may be, the District Panchayat, cease to be a member of the Governing Body.

(4) The tenure of nominated member shall be for a period of three years from the date of his nomination.

(5) The Governing Body shall have the following powers and perform the following functions, namely:-

(a) make over all policy of the Foundation in consonance with the provisions of the Act;

(b) consider and approve the balance sheet and audited accounts of the Foundation;

(c) consider and approve the Annual Report of the Foundation;

(d) approve the work plan, fund flow, Annual Budget of the Foundation;

(e) make amendment in the deed of trust, which may be necessary, subject to the approval of the Government;

(f) approve the "Operations Manual" of the Foundation;

(g) coordinate between different departments and other institutions and non Governmental organisations to achieve the objectives of the Foundation;

(h) frame rules and regulations under the provisions of the trust of deed for managing the affairs of the Foundation;

(i) take all policy decisions regarding fund raising, investment and budget of the Foundation;

(j) suspend, terminate or effect any other procedures on any Project or activity undertaken by the Foundation; and

(k) perform such other functions as may necessary to achieve the objectives of the trust.

(6) The meetings of the Governing Body shall be held in the following manner, namely:-

(i) the meetings of the Governing Body shall be held at least once in a year preferably in the first month of the financial year;

(ii) every meeting of the Governing Body shall be called in writing by and under the signature of the Member-Secretary of the Governing Body through a prior notice of fifteen days containing a summary of the business to be transacted in such meeting;

(iii) any inadvertent omission to give notice to, or the non-receipt of notice of any meeting by, any member shall not invalidate the proceedings of the meeting;

(iv) if the President is not present in the meeting of the Governing Body, the Vice-President shall preside over the meeting;

(v) one third of the members of the Governing Body present shall form the quorum of the Governing Body provided that no quorum shall be necessary in respect of any adjourned meeting;

(vi) all disputes in a meeting shall be determined by the division of vote;

(vii) the member who is unable to attend the Governing Body meeting may send his views on the agenda in writing and such expression of opinion shall be taken to be his vote on the matter concerned; and

(viii) the minutes of the proceedings of the meeting shall be recorded and such minutes after approved and signed by the Member Secretary, Governing Body shall be the conclusive proof of the business transacted in the meeting.

6. The Executive Committee.-

(1) Every Tiger Conservation Foundation shall have an Executive Committee to look after its day-to-day management.

(2) The affairs of the Foundation shall be administered subject to the rules of the Foundation by the Executive Committee.

(3) The Executive Committee shall consist of -

(a) Field Director of the Tiger Reserve	- Chairperson
(b) Deputy Director or Assistant Director of the Tiger Reserve	- Member
(c) two representatives of Ecodevelopment Committees working in the Tiger Reserve, to be nominated in the Governing Body	- Member
(d) two members of frontline staff of the Tiger Reserve	- Member

(the Deputy Director or, as the case may be, the Assistant Director of the tiger reserve shall function as the Secretary of the Executive Committee).

(4) The tenure of the nominated member shall be for a period of two years from the date of his nomination.

(5) A member of the Executive Committee, other than nominated members, shall cease to be a member as such, if he ceases to hold that office or post by virtue of which, he became the member of the Committee.

(6) The Executive Committee shall have the following powers and perform the following functions, namely:-

(a) the affairs and funds of the Foundation in accordance with the rules and regulations of the Foundation;

(b) make endeavour to achieve the objectives of the Foundation and discharge all its functions;

(c) exercise administrative and financial powers including power to engage any person of one description and make appointment thereon in accordance with the rules and regulations of the Foundations;

(d) enter into arrangement with other public or private organisations or individuals for furtherance of its objectives and in accordance with the rules and regulations of the Foundation;

(e) endowments, grants-in-aid, donations, or gifts to the Foundations not inconsistent with the rules and regulations of the Foundation and interest of the Government;

(f) take over or acquire in the name of the Foundation by purchase, gift or otherwise from Government or other public bodies or private individuals or organizations, any movable and immovable property in the state or elsewhere in conformity with the rules and regulations of the Foundation; and

(h) perform such other functions as are assigned to it by the Governing Body.

7. Proceedings of the Executive Committee.-

(1) Every meeting of the Executive Committee shall be presided over by the Chairperson. Provided that in the absence of the Chairperson the Executive Committee shall elect a Chairman to preside over the meeting.

(2) One-half of the total members of the Executive Committee present in the meeting shall constitute the quorum, provided that no quorum shall be necessary in respect of any adjourned meeting.

(3) Not less than seven days notice for every meeting of the Executive Committee shall be given to each member of the said Committee, provided that the Chairperson may call an emergency meeting if the situation so warrants.

(4) Any inadvertent omission to give notice to or the non-receipt of notice of any meeting by any member shall not invalidate the proceedings of the meeting.

(5) The Executive Committee shall meet as and when necessary but at least once in every month.

(6) All disputed issues in the Executive Committee meetings shall be determined by vote among members.

(7) Any member who is unable to attend the Executive Committee meeting may send his views on the agenda in writing and such expression of opinion shall be taken to be his vote on the matter concerned.

(8) The Executive Committee shall refer any issue for the advice, or recommendation to a Sub-Committee constituted by it for the purpose and the Executive Committee shall have the right to override the recommendation or advice given by the Sub-Committee and in doing so, it shall record reasons thereof.

(9) The Annual General Body Meeting of the Executive Committee shall be conducted every year and the audited accounts of the previous year and the budget for the current year shall be presented, discussed and approved.

(10) The Minutes of the proceedings of the Executive Committee meetings shall be recorded and such minutes after due approval shall be issued by the Secretary.

8. Office and Authorities of the Executive Committee.-

(1) The Field Director of the Tiger Reserve shall be the Executive Director of the Foundation and he or she shall carryout all administrative and day-to-day functions of the Foundation on behalf of the Executive Committee and he shall be the custodian of all records, assets and belongings of the Foundation.

(2) The Executive Director shall have the following powers in conformity with the rules of the Foundation; namely:-

(a) to accept contributions on behalf of the Foundation either in cash or in kind from a person or institutions.

(b) to purchase, acquire, take on lease any movable and immovable property for the purpose of achieving the objectives of the Foundation.

(c) to have control and authority on the general administration of the Foundation.

(d) to open and operate accounts with banks.

(e) to prosecute, sue and defend all actions at law for and on behalf of the Foundation.

(3) The Executive Director shall have powers to convene seminars, workshops, etc., and to oversee publications of research materials and books of the Foundation.

(4) The Executive Director shall initiate appropriate actions for the preparation and submission of project proposals on different programmes to be undertaken by the Foundation to various agencies for support.

(5) The Executive Director shall have powers to interact with National and International Agencies for furthering the objectives of the Foundation.

9. Property, Assets and Liabilities.-

(1) The income and property of the Foundation, howsoever derived, shall be applied solely towards the promotion of the objectives thereof as set-forth above.
(2) No portion of the income and property of the Foundation shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise, howsoever, by way of profit, to the persons who at any point of time have been members of the Foundation or to any of them or to any person claiming through them.
(3) Provided that nothing herein contained shall prevent the payment of remuneration to any member or any person in return of any service rendered to the Foundation or for any administrative expenses as stipulated in the Operations Manual.

10. Powers of the Government.-

The Government may time to time review the functioning of the Foundation and issue such directions as it may consider necessary in respect of the affairs of the Foundation.

11. Financial Regulations.-

A. Funds of the Trust:

The following shall be the various sources of funds for running the affairs of the Foundation in conformity with the rules and regulations of the trust, namely:-

(a) the income generated from levying tourist entry fees and other charges for the services generated out of the Tiger Reserve;
(b) contribution from other sources in terms of specific projects from national as well as international agencies as permitted by law;
(c) grant-in-aids, donation or assistance of any kind from any individuals or organizations including foreign Governments and other external agencies as permitted by law; and
(d) any other activity as permitted by law and in conformity with the rules of the trust.

B. Accounts and Audit:

(a) the Foundation shall maintain proper accounts and prepare annual accounts comprising of the receipts and payments, statement of liabilities, etc., in such form as may be determined;
(b) the accounts of the Foundation shall be audited annually by the qualified Chartered Accountant, empanelled by the Comptroller Auditor-General of India, approved by the Governing Body;
(c) the audited accounts shall be discussed and approved by the Governing Body in its annual meeting held for the purpose; and
(d) the accounts of the Foundation shall be subjected to the general provisions and directives of the Comptroller and Auditor-General of India.

12. Dissolution of the Foundation.-

The Foundation is irrevocable, however, in the event of any circumstance in which it is decided to terminate or dissolve the Foundation, after the satisfaction of all its debts and liabilities, any assets and property, whatsoever be the same, shall not be paid to or distributed among the members of the Foundation but shall be dealt with in such manner as the State Government may determine in that behalf.

13. Miscellaneous.-

(1) As and when there is any change in the nomenclature of Ministries, Departments, or institution and designation mentioned, such changes shall automatically stand incorporated in the rules of the Foundation.

(2) Every staff of the Foundation may be sued or prosecuted by the Foundation for any loss or damage caused to the Foundation or its property or for anything done by him detrimental to the interests of the Foundation.

[F. No. 15-1/2006-NTCA (Part-V)]

Dr. RAJESH GOPAL, Member-Secy. (NTCA)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2007

का.आ. 1009 (अ).—केन्द्रीय सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38 क्यू की उप-धारा (2) के अनुपालन में बाघ संरक्षण प्राधिकरण निधि का गठन करती है और इसके विनियमन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाती है नामत: :–

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन दिशा-निर्देशों को बाघ संरक्षण प्राधिकरण निधि (विनियमन) दिशानिर्देश, 2007 कहा जाएगा ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन दिशानिर्देशों में जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, :-

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय है वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53)

(ख) "अध्यक्ष" का अभिप्राय है (क) धारा 38 एल की उप धारा (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष

(ग) "निधि" का अभिप्राय धारा 38 क्यू की उपधारा (2) के अंतर्गत गठित बाघ संरक्षण प्राधिकरण निधि

(घ) "कार्यान्वयन एजेंसी" का अभिप्राय है इस अधिनियम की धार 38V के अंतर्गत अधिसूचित बाघ रिजर्व अथवा बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अधिसूचित रिजर्व ।

(ड.) "सदस्य सचिव" का अभिप्राय है धार 38 एल की उपधारा (2) के खण्ड (0) के अंतर्गत नियुक्त बाघ संरक्षण प्राधिकरण का सदस्य सचिव

(च) "धारा" का अभिप्राय है अधिनियम की धारा

(छ) "बाघ संरक्षण प्राधिकरण" का अभिप्राय है धारा 38 एल के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ।

(ज) "बाघ संरक्षण फाउण्डेशन" का अभिप्राय है धारा 38 एल के अंतर्गत स्थापित बाघ संरक्षण फाउण्डेशन ।

(झ) "बाघ रिजर्व" का अभिप्राय है बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही अधिसूचित सहित धारा 38V के अंतर्गत अधिसूचित ऐसे क्षेत्र हैं ।

(ञ) "बाघ रिजर्व राज्य" का अभिप्राय है वह राज्य जिसमें बाघ रिजर्व है ।

3. निधि का गठन - केन्द्रीय सरकार एक निधि गठन कर रही है जिसे बाघ संरक्षण प्राधिकरण निधि कहा जाएगा, निम्नलिखित निधियां क्रेडिट की जाएंगी, नामत:

i. केन्द्रीय सरकार द्वारा बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए दिया गया कोई अनुदान अथवा ऋण ।

ii. अधिनियम के अंतर्गत बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए सभी प्रकार के शुल्क एवं प्रभार ।

iii. ऐसे अन्य स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई सभी निधियां जिनका निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया हो ।

iv. प्राधिकरण के निवेश और जमा परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज ।

4. निधि के उद्देश्य - बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा ।

(क) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए

(ख) प्राधिकरण द्वारा बाघ संरक्षण के लिए राज्यों में बाघ रिजर्वों में कार्य निष्पादन और ड्यटी से संबंधित कार्यों पर किए गए सभी व्यय के लिए निधियन सहायता ।

(ग) प्राधिकरण द्वारा किया जाने वाला अन्य कोई आवश्यक व्यय ।

5. निधि का संचालन (1) निधि का संचालन बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष की मंजूरी से किया जाएगा ।

(2) निधि का रखरखाव खाते के दो अलग-अलग शीर्षों में किया जाएगा, जिसमें अनुदान से प्राप्ति और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया ऋण और दूसरा बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए शुल्क और प्रभारों से संबंधित होगा ।

6. पात्र कार्यान्वयन एजेंसी

(1) बाघ संरक्षण प्राधिकरण, किसी बाघ रिजर्व राज्य को बाघ संरक्षण के लिए निधिकरण सहायता दे सकता है, जिसका कार्यान्वयन बाघ रिजर्वों द्वारा किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित कार्यान्वयन एजेंसी होगी ।

(2) बिना किसी पूर्वाग्रह और अन्य दिशानिर्देशों तथा विनियमों को शामिल किए बिना, कार्यान्वयन एजेंसी निधि से वित्तीय सहायता देने पर विचार करेगी, यदि यह निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करती है :-

(क) कार्यान्वयन एजेंसी, बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त एक बाघ रिजर्व है ।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसी को अपने फार्मेशन दस्तावेज के तहत शक्ति प्राप्त है (जैसे कि इस के गठन की अधिसूचना, समझौता ज्ञापन आदि)

(ग) कार्यान्वयन एजेंसी के कार्य, बाघ संरक्षण, इसके पर्यावास, परभक्षी , शिकारी पशुओं, पारिविकास, ऐसे क्षेत्रों में और उनके आसपास रहने वाले लोगों की जीविका की चिंता से निपटना उनके हित लाभ में है ।

(घ) कार्यान्वयन एजेंसी, अपनी प्राप्तियों और व्यय का नियमित हिसाब रखती है । जो ऐसी एजेंसी की वित्तीय स्थिति का वास्तविक और उचित रखरखाव प्रस्तुत करेगा तथा जिसकी चार्टेड एकाउण्टेंट अथवा सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है ।

(ड.) जिस विलेख के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी गठित की गई है इसमें इसकी पूरी आय अथवा सम्पति अथवा उसके किसी हिस्से का किसी भी समय किसी उद्देश्य के लिए अन्तरण अथवा अनुप्रयोग के लिए प्रावधान नही है जिसमें सामान्यत: धन के उद्देश्य अथवा लक्ष्य के संबंध में विवाद अथवा अन-अनुरुपता है अथवा हो सकती है । कार्यान्वयन एजेंसी को अनुदान के द्वारा वित्तीय सहायता बढ़ाई जा सकती है ।

3. इसका निर्णय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा कि क्या कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपरोक्त अपेक्षाओं को भलीभांति और पूर्णरुपेण संतुष्ट किया गया है ।

7. निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के आवेदन की प्रक्रिया - (1) निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सभी आवेदन बाघ रिजर्व की प्रबंधन योजना पर आधारित प्रचालन की वार्षिक योजना के रुप में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किए जाएंगे, जिसे उस बाघ रिजर्व के मुख्य वन्यजीव वार्डन और बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा जिसके लिए सहायता मांगी जा रही है ।

(2) सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण फार्म (दो प्रतियों में) सदस्य सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) कार्यान्वयन एजेंसी को निधि से अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता, यदि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो, प्राधिकरण द्वारा लगाई गई ऐसी शर्तों की शर्त पर दी जाएगी और यदि शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया तो वित्तीय सहायता किसी भी समय वापस ले ली जाएगी ।

8. निधि जारी करने की प्रक्रिया - (1) बाघ संरक्षण प्राधिकरण, बाघ रिजर्व से इसकी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की जाँच करेगा और संबंधित राज्य सरकार को सूचित करते हुए अधिनियम की धारा 38एक्स के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्थापित बाघ संरक्षण फाउण्डेशन को निधियां जारी कर सकता है ।

(2) बाघ रिजर्व राज्यों द्वारा बाघ परियोजना के अंतर्गत 50 : 50 आधार पर आवर्ती मदों के व्यय को पूरा करने के लिए समान अनुदान सहित आवश्यक बजट प्रावधान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि कार्यान्वयन एजेंसी प्राधिकरण द्वारा इसे जारी की गई निधि को पखवाड़े के भीतर प्रयोग करने की स्थिति में हो ।

9. वित्तीय सहायता का निलम्बन :- (1) बाघ संरक्षण प्राधिकरण कार्यों को पूरा करने के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित कर सकता है जिसके लिए बाघ रिजर्व राज्य और कार्यान्वयन एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन आवश्यक होगा ।

(2) बाघ संरक्षण प्राधिकरण इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से वित्तीय सहायता की किसी भी किश्त के भुगतान को निलम्बित, स्थगित अथवा आस्थगित कर सकता है अथवा किसी भी समय ऐसे भुगतान के लिए नई शर्तें लगा सकता है ।

10. परिसंपत्तियों का स्वामित्व और रखरखाव :- (1) कार्यान्वयन एजेंसी, इसके द्वारा निधि से प्राप्त निधियों पर अधिकार बनाए रखेगी और पूरी निधि का उपयोग करेगी और ऐसी निधियों द्वारा सृजित सभी परिसम्पत्तियों का उपयोग पूरी तरह से उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निधियां प्राप्त की गई थी और प्राधिकरण की उचित लिखित अनुमति के बिना इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।

(2) कार्यान्वयन एजेंसी को बाघ संरक्षण प्राधिकरण की लिखित अनुमति के बिना ऐसी किसी धनराशि अथवा परिसंपत्तियों को दूसरे किसी काम में लगाने या अंतरित करने अथवा किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाने या उस पर नियंत्रण से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(3) बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यदि उसके पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो अथवा उसका यह मत हो कि कार्यान्वयन एजेंसी :-

(क) अनुबंधित कार्यों को पूरा करने अथवा कार्यान्वयन करने में समर्थ नहीं है ।

(ख) अपने सामान्य कार्यों को जारी रखने के लिए परिसमापन करना अथवा बन्द करना या रोकने की संभावना है ।

(ग) महत्वपूर्ण पुनर्संगठन अथवा पुनर्निर्माण की संभावना है जो निधि से वित्तीयं सहायता प्राप्त करने के लिए इसकी उपयुक्तता को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है ।

(घ) ऐसी वित्तीय सहायता से अर्जित की गई या बनाई गई परिसंपत्तियों के रखरखाव और संरक्षित रखने में असमर्थ है ।

(ङ.) इसको मंजूर की गई वित्तीय सहायता अथवा परिसंपत्तियों अथवा अन्य बातों के संदर्भ में अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है अथवा वचनभंग करने की संभावना है ।

(च) निधि के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य अथवा प्रचालन कर सकता है अथवा अन्यथा अधिनियम के विरुद्ध कार्य करे सकता है । किसी भी समय वित्तीय सहायता अनुदान को वापस कर सकता है और उस मामले में कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान की गई अथवा निधि से भुगतान की जाने वाली धनराशि को रखने से अथवा उससे सृजित परिसंपत्तियों से मुक्त किया जा सकता है । जो इसे सौपीं गई थी अथवा इसके पास है परंतु प्राधिकरण के अधिकार के कुप्रभाव के बिना इस समय लागू किसी नियम के अनुसरण में कोई कार्रवाई की जा सकती है ।

11. खातों का रखरखाव - बाघ संरक्षण प्राधिकरण बही खातों का रखरखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से करेगा ।

12. कार्यक्रम प्रोसेसिंग प्रक्रिया :- बाघ संरक्षण प्राधिकरण, समय-समय पर जैसी भी आवश्यकता हो अथवा प्राधिकरण में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह से कार्यक्रम प्रस्तावों की प्रगति की जांच करेगा ।

13. मानीटरिंग प्रक्रिया - निधि से प्राप्त वित्तीय सहायता से शुरु किए गए कार्यों की मानीटरिंग समग्र रुप सें निम्नलिखित ढंग से प्रभावित होगी ।

(क) निरीक्षण, बही खातों की जांच और कार्यान्वयन एजेंसी अथवा कार्यक्रम से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को निर्देश जारी करना ।

(ख) बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बाघ रिजर्वों और अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण करना ।

(ग) निधि से शुरु किए गए कार्यक्रमों के अनुसरण में विषय के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना ।

(घ) अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययनों आदि को शुरु करना ।

14. प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई निधियां :-

(1) पात्रता

(क) दान व्यक्तिगत रुप से तथा कारपोरेट और नॉन कारपोरेट निकायों द्वारा दिया जा सकता है ।

(ख) दाताओं द्वारा दिए गए सभी दान को बिना किसी शर्त के दिए गए समझा जाएंगा और वापस नहीं लिए जाएगा ।

(ग) ऐसे दान, फंड का हिस्सा होंगे और उनके अथवा उनके किसी भाग को प्रयोग, उपयोगिता, वितरण और निपटान का पूर्ण तथा उचित अधिकार पूरी तरह से बाघ संरक्षण प्राधिकरण में निहित होगा ।

(2) दान देने की प्रक्रिया :- निधि के लिए दिए गए दान विशेष रुप से बाघ संरक्षण प्राधिकरण निधि के नाम से दिए जाएंगे और सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षणं प्राधिकरण, बैरक न0 5, बीकानेर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे, जो दानदाताओं को इन दिशा निर्देशों के साथ संलग्न प्रपत्र में रसीदें जारी करेंगे, ऐसा दान देते समय दानदाता निम्नलिखित ब्यौरा देंगे, नामत :-

(क) दानदाता का नाम,

(ख) पता,
(ग) बैंक ड्राफ्ट/बैंक का नाम और तिथि सहित चेक संख्या,
(घ) दान की राशि,

(3) (क) निधि का दान दाता उसके द्वारा दी गई नीति का किस कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपयोग किया जाना है उसके लिए अपनी प्राथमिकता की सिफारिश कर सकते हैं ।

(ख) दानदाताओं की सिफारिशें, यदि कोई हों, पर बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा, जिस सीमा तक उचित समझा जाएगा , विचार किया जाएगा, तथापि, यह इस बारे में अपने निर्णय के लिए दानदाताओं या अन्य किसी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी ।

(ग) इस बारे में लिए गए निर्णय अंतिम होंगे और इस बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

15. दिशा-निर्देशों आदि में परिवर्तन के लिए प्राधिकरण की शक्तियाँ :- प्राधिकरण, फण्ड के हित या इसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय-समय पर इन दिशा-निर्देशों और विनियमों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकता है ।

16. अन्तर्निहित ट्रस्ट अथवा एजेंसी :- तथापि इन दिशानिर्देशों में शामिल किसी बात के लिए बाघ संरक्षण प्राधिकरण को किसी भी परिस्थिति में किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति (दान दाताओं और कार्यान्वयन एजेंसियों सहित) के एजेंट को ट्रस्टी नहीं माना जाएगा और प्राधिकरण, प्राधिकरण की ओर से किसी कार्य के निषेध या शुरु करने सहित किसी भी कारण से किसी भी रुप में ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति जबावदेह या उत्तरदायी नहीं होगा ।

[फा. सं. 6(4)/2005-पीटी]

डॉ. राजेश गोपाल, सदस्य सचिव (एनटीसीए)

प्रपत्र

[कृपया दिशानिर्देश क्रमांक 14 (2) देखें]

दान की रसीद

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

रसीद सं0...................... दिनांक....................

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को........................... .... (नाम और पता) से ....रुपये की (अंकों में).. रुपए (शब्दों में)..संख्या के चेक/ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के द्वारा दिनांक .... को बिना किसी शर्त एवं वापस वसूल न किए जाने का दान प्राप्त हुआ। उपरोक्त दान निधि को दिशानिर्देशों और विनियमों की शर्त पर स्वीकार किया गया है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
बैरक नं0 5
बीकानेर हाउस,
शाहजहां रोड,
नई दिल्ली- 110011

हस्ताक्षर ....

नाम और पद.................
....

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2007

S.O. 1009(E).— in pursuance of sub-section (2) of section 38Q of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby constitutes the Tiger Conservation Authority Fund, and for the purpose of its regulations, makes the following guidelines, namely:–

1. **Short title and commencement.**—, (1) These guidelines may be called the Tiger Conservation Authority Fund (Regulation) Guidelines, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these guidelines, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority appointed under clause (a) of sub-section (2) of section 38L;
(c) "Fund" means the Tiger Conservation Authority Fund constituted under sub-section (2) of section 38Q;
(d) "implementing agency" means a tiger reserve notified under section 38V of this Act or a reserve already notified by the State Government under Project Tiger Scheme;
(e) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Tiger Conservation Authority appointed under clause (o) of sub-section (2) of section 38L;
(f) "section" means section of the Act;
(g) "Tiger Conservation Authority" means the National Tiger Conservation Authority constituted under section 38L;
(h) "Tiger Conservation Foundation" means the Tiger Conservation Foundation established under section 38X;
(i) "tiger reserve" means the areas notified as such under section 38V, including those already notified by the State Governments under the Project Tiger Scheme;
(j) "tiger reserve state" means a state having tiger reserve.

3. Constitution of the Fund.– The Central Government hereby constitutes a Fund to be called the Tiger Conservation Authority Fund, to which the following sums shall be credited, namely:-

(i) any grants and loans made to the Tiger Conservation Authority by the Central Government;

(ii) all fees and charges received by the Tiger Conservation Authority under the Act;

(iii) all sums received by the Authority from such other sources as may be decided upon by the Central Government; and

(iv) interest accrued on investment and fixed assets of the Authority.

4. Objects of the Fund.– The Fund shall be utilized by the Tiger Conservation Authority for the following purposes:-

(a) for meeting of the salary, allowances and other remuneration of the members, officers and other employees of the Authority;
(b) for all expenses incurred by the Authority in the discharge of its functions and duties relating to funding support to tiger reserves in States for tiger conservation; and
(c) any other expenditure required to be incurred by the Authority.

5. Operation of the Fund.– (1) The Fund shall be operated by the Member-Secretary of the Tiger Conservation Authority with the sanction of the Chairperson.

(2) The Fund shall be maintained in two separate heads of accounts, one relating to the receipt from the grants and loans made by the Central Government, and the other concerning the fee and charges, received by the Tiger Conservation Authority.

6. Eligible Implementing Agency.–

(1) The Tiger Conservation Authority may provide funding support for tiger conservation to a tiger reserve State, to be implemented by the tiger reserve, which would be the Implementing Agency as approved by the Authority.

(2) Without prejudice and in addition to any other guidelines and regulations, the Implementing Agency would only be considered for financial assistance from the Fund, if it fulfills the following requirements:–

(a) the Implementing Agency is a tiger reserve recognised by the Tiger Conservation Authority;

(b) the Implementing Agency is empowered by its formation documents (such as the notification of its constitution, Memorandum of Understanding, etc.);

(c) the activities of the implementing agency are for the benefit and in the interests of conservation of tiger, its habitat, co-predators, prey animals, addressing the ecodevelopment, livelihood concerns of people living in and around such areas;

(d) the Implementing Agency maintains regular accounts of its receipts and expenditure, which shall provide a true and fair view of the financial condition of such agency and are audited by a Chartered Accountant or the Government Auditor;

(e) the instrument under which the Implementing Agency is constituted do not contain any provision for the transfer or application at any time of the whole or any part of its income or assets for any purpose which is or may be in conflict or inconsistent with the object or purpose of the Fund, generally, or that of the financial assistance by way of grant if any extended to the Implementing Agency, in particular.

(3) The question as to whether the above requirements are duly and fully satisfied by an Implementing Agency shall be decided by the National Tiger Conservation Authority.

7. Procedure for applying for financial assistance from the Fund.– (1) All applications for financial assistance from the Fund shall be made by an Implementing Agency in the form of Annual Plan of Operation based on the Management Plan of the tiger reserve, duly approved by the concerned Chief Wildlife Warden and the Tiger Conservation Authority, for which financial assistance is being sought.

(2) The form duly completed in all respects shall be submitted (in duplicate) to the Member-Secretary.

(3) The financial assistance by way of grant shall be made out of the Fund to the Implementing Agency, if approved by the Authority, subject to such conditions as may be imposed on by the Authority and the financial assistance may be withdrawn at any time, if the conditions are not complied with.

8. Fund releasing process.– (1) The Tiger Conservation Authority, shall after due vetting of the proposal received from a tiger reserve state through its process, may release funds to the Tiger Conservation Foundation established by the Implementing Agency under section 38X of the Act, under intimation to the concerned State Government.

(2) The necessary budget provision including the matching grant for meeting the recurring items of expenditure as done under Project Tiger on a 50:50 basis should be ensured by the tiger reserve state and made available to the respective Tiger Conservation Foundation so that the Implementing Agency is

in a position to utilize the fund within a fortnight of its release from the Authority.

9. Suspension of financial assistance.– (1) The Tiger Conservation Authority may provide and fix definite time schedule for completion of the activities, require a Memorandum of Understanding with the tiger reserve state and Implementing Agencies.

(2) The Tiger Conservation Authority, with a view to ensure compliance of these guidelines, may suspend, postpone or defer payment of any installment of financial assistance or may impose new conditions for such payment, at any time.

10. Ownership and maintenance of assets.– (1) The Implementing Agency shall retain, hold and use all moneys received by it from the Fund and all assets created with such moneys solely and exclusively for the purpose for which the moneys were received by the Implementing Agency and for no other purpose, without prior written permission of the Authority.

(2) The Implementing Agency shall have no right to divert or transfer any such money or assets or to create any encumbrances thereon of any kind, or to part with possession thereof, without the written permission of the Tiger Conservation Authority.

(3) The Tiger Conservation Authority may, if it has sufficient reason to believe, or is of the opinion that the implementing agency–

(a) is not capable of completing or implementing the activities as stipulated;
(b) is likely to be liquidated or wound up or may cease to carry on its normal activities;
(c) is likely to undergo substantial reorganization or restructuring which may adversely affect its eligibility to receive financial assistance from the Fund;
(d) is unable to maintain and preserve the assets acquired or created out of such financial assistance;
(e) is unable to perform or is likely to commit breach of its obligations in respect of the financial assistance granted to it or the assets or otherwise;
(f) may act or operate against the purpose of the Fund or otherwise against the Act, then at any time, revoke the grant of financial assistance and, in that case the Implementing Agency shall be disentitled to retain the moneys paid or payable out of the Fund and of the assets created thereby which shall cease to be entrusted to or with it, but without prejudice of the Authority's right to take any other action in accordance with any law for the time being in force.

11. Maintenance of Accounts.– The Tiger Conservation Authority shall maintain the books of accounts in such form and manner as prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

2852 GI/2007—4

12. Programme Processing Procedure.– The Tiger Conservation Authority shall process and vet the programme proposals in consultation with the technical experts available with the Authority or as may necessary from time to time.

13. Monitoring Procedure.- The monitoring of the activities taken up with the financial assistance out of the Fund shall be effected, inter alia, in the following manner :

(a) carrying out inspections, examination of the books of accounts and issuance of directions to the Implementing Agency or any other person associated with the programme;
(b) visits by the officers of the Tiger Conservation Authority to the tiger reserves and other areas as required under the Act;
(c) hiring specialists of the subject, in accordance with the programmes taken up under the Fund;
(d) commissioning of research, evaluation studies, etc.

14. Funds received by the Authority.–

(1) Eligibility:

(a) the donations may be made by individuals as well as corporate and non corporate bodies;
(b) all donations to be made by the donors shall be and shall deem to be unconditional and irrevocable;
(c) such donations shall form part of the Fund and shall vest in the Tiger Conservation Authority with its absolute and unfettered right of retention, application, utilization, disbursement and disposal thereof or any part thereof.

(2) Procedure for making donations: The donations to the Fund shall be specifically made out in the name of the Tiger Conservation Authority Fund and sent to the Member-Secretary, National Tiger Conservation Authority, Barrack No. 5, Bikaner House, Shahjahan Road, New Delhi, who shall issue receipts in Form appended to these guidelines to the donors and while making such donation, the donor shall provide following particulars, namely:–

(a) Name of the donor,
(b) Address,
(c) Bank Draft / Cheque number with date and name of the Bank,
(d) Amount of donation.

(3) (a) The donors to the Fund may recommend their preference for the Implementing Agency for which the donation may be utilized.

(b) The recommendations, if any, of the donors may be given due consideration to the extent deemed appropriate by the Tiger Conservation Authority which shall not, however, be in any manner answerable to the donors or any person for its decision in this behalf.
(c) The decisions in this regard shall be final and no correspondence shall be entertained.

15. Power of the Authority to modify guidelines etc.- The Authority may, from time to time, amend or modify these guidelines and regulations as it may

consider necessary in the interest of or for the furtherance of the objects of the Fund.

16. Trust or Agency to be implied.-

Notwithstanding anything contained in these guidelines, the Tiger Conservation Authority shall not and in any circumstances be regarded as a trustee or agent of any persons (including donors or implementing agencies) for any purpose whatever and the Authority shall not be answerable or accountable to any such person in any manner for any reason including any act of omission or commission on the part of the Authority.

[F. No. 6(4)/2005-PT]

Dr. RAJESH GOPAL, Member-Secy. (NTCA)

FORM
(see guideline 14 (2))

RECEIPT FOR DONATIONS MADE

NATIONAL TIGER CONSERVATION AUTHORITY

Receipt No. __________ dated ________

Received with thanks from ______________________________ (Name and address) a sum of Rs. _____________ (in figures) Rupees ______________________________ (in words) only by cheque/draft/Pay order no.______________________ dated ___________ as unconditional and irrevocable donation to the National Tiger Conservation Authority Fund. The above donation has been accepted subject to the Guidelines and Regulations of the Fund.

National Tiger Conservation Authority

Barrack No. 5 Signature__________

Bikaner House Name and Designation_________

Shahjahan Road

New Delhi - 110011

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.